-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **"ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना मरका पुलिस द्वारा घुम-घुमकर अवैध सूखे गांजे की बिक्री करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 50 ग्राम अवैध सूखा गांजा व गांजा बिक्री के 1540 रुपये बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन ईगल"** के क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को थाना मरका पुलिस द्वारा घुम-घुमकर अवैध सूखे गांजे की बिक्री करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब को थाना मरका पुलिस को सुबह गश्त एवं चेकिंग के दौरान ग्राम मुड़वारा के पास संदिग्ध रुप से एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का थैला लिए हुए आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अवैध सूखा गांजा व गांजा बिक्री के रुपये बरामद हुए। पूछताछ मे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर मौरंग खदानो के आस-पास घुम फिर अधिक लाभ पर उसकी बिक्री करता है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए इस सम्बन्ध में थाना मरका पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 02 किलो 50 ग्राम अवैध सूखा गांजा।
- 1540 रुपये (गांजा बिक्री)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामजीत उर्फ बच्चा सिंह पुत्र जगतपाल निवासी मुड़वारा थाना मरका जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 13/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री भोलानाथ बिन्द
2. कां0 हृदेश सैनी